न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2008/00026
राजस्व वाद संख्या – 44/2008

1. लादू पुत्र स्व0 श्री मांग्या (मृतक दौराने वाद), जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, हाल निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/1. मु0 बिदामी बेवा लादू
1/2. प्रभुदयाल पुत्र लादू
1/3. गिरधारी पुत्र लादू
निवासी ग्राम रिसानी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/4. सीता देवी पुत्री लादू पत्नी गोपाल निवासी ग्राम पंचार, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर, राज0।
2. छोदू पुत्र स्व0 श्री मांग्या, जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, हाल निवासी ग्राम रिसाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – वादीगण

बनाम

1. बोदू पुत्र स्व0 श्री रूडा(मृतक दौराने वाद)
1/1. कालू पुत्र बोदू
1/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदू
1/3. मु0 रानी पुत्री बोदू
1/4. मु0 लाडा देवी पुत्री बोदू
1/5. मु0 तुफानी देवी पुत्री बोदू
जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. प्रभात पुत्र स्व0 श्री रूडा(मृतक दौराने वाद)
2/1. मु0 संतोष पत्नी प्रभात
2/2. बाबूलाल पुत्र प्रभात
2/3. मु0 मिश्री देवी पुत्री प्रभात
2/4. मु0 मुन्नी देवी पुत्री प्रभात
जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सरदार पुत्र स्व0 श्री रूडा, जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. सरकर जरिये श्रीमान तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 16/5/2025

संक्षेप्त में वादीगण/वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0न0 पुराना 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5645, 5646, कुल किता 02 कुल रकबा 0.9700 हैक्टे0

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

के ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि का प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है और उक्त भूमि पूर्व में मांग्या पुत्र स्व0 श्री नानगा, वादीगण के पिता के खातेदारी की भूमि थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:— नानगा(फौत) के वारिसान रूडा (फौत), मांग्या(फौत), भगता(फौत)। रूडा(फौत) के वारिसान बोदू प्रतिवादी 1, प्रभात प्रतिवादी 2, सरदार प्रतिवादी 3 एवं मांग्या(फौत) के वारिसान लादू वादी, छोटू वादी तथा भगता(फौत) के वारसान गोपी है। इस प्रकार से वादीगण एव प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 का खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है, लेकिन नानगा के पुत्र रूडा, मांग्या, भगता आदि को सबकी अलग अलग खातेदारी को कृषि भूमि थी जो कि संवत 2022 से लेकर 2040 तक जमाबदी में स्पष्ट अंकित है। प्रतिवादीगण नं: 1 लगायत 3 के पिता रूडा के नाम से खातेदारी को कृषि भूमि पुराना नम्बर 1440 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा जिसकी खतौनी संख्या पुरानी 446 व 495 थी जिसका हाल ख.नं. 5647, 5648 ही थी। और मांग्या पुत्र नानगा की भूमि खं.नं. पूराना 1437 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा थी जिसकी खतौनी संख्या 308 व 307 है, जिसके हाल ख.नं. 5645, 5546 है। मांग्या के फोत होने के बाद उनके दोनो लडके लादू व छोटू के नाम खातेदारी में नाम दर्ज आज तक नही किया गया है जो फोत होने के बाद कानूनन नामान्तकरण वारिसान के नाम ही दर्ज किया जाना चाहिए था। वादीगण के पिता मांग्या पुत्र स्व. नानगा के नाम भी भूमि ख.नं. 1437 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा खातेदारी में थी। जिसके हाल ख0न0 5645, 5646 है जो वर्तमान मे प्रतिवादीगणो के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगणो के पिता की कृषि भूमि जो संवत 2023 से लेकर संवत 2040 तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी मांग्या पुत्र स्व. नानगा के नाम ही दर्ज चली आ रही है। जो मांग्या के फोत होने पर उसके वारिसान लादू व छोटू के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था जो नही किया जाकर प्रतिवादीगण नं 01 ता. 03 द्वारा मिसल संख्या 873/1987 फैसला दिनांक 5–7–1988 के अनुसार फर्जी तरीका अपनाकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 62 के तहत गलत नामान्तकरण तस्दीक करवाकर दिनांक 5–7–88 को अपने हक में नामान्तकरण विवादग्रस्त भूमि का खुलवाकर राजस्व जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज कराने में सफलता प्राप्त कर ली। और जो हाल जमाबन्दी मे दर्ज करवा ली गयी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता. 03 द्वारा भूमि ख.नं. 1437 हाल ख.नं. 5645, 5646 कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टे0 भूमि का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिसल संख्या 873/1987 फैसला दिनांक 5–7–1988 की जो अनुपालना में जो नामान्तकरण सं. 62 खोला गया है व भूमि का खातेदार एवं स्वामी ख.नं. 1437 का मांग्या पुत्र स्व0 नानगा था, जो वादीगणों के पिता थे और मांग्या का एक मात्र वारिस व जायन्दा सन्ताने वादीगण लादू व छोटू ही थे। इसके अलावा मांग्या के अन्य कोई संतान नहीं थी। उक्त पत्रावली संख्या 873/1987 का सेटलमेन्ट विभाग में तलाश किया गया तो इस संख्या की मिसल नम्बर व फैसला दिनांक आदि काफी तलाश करने के बाद मे भी दरख्वास्त देहन्दा को प्राप्त नहीं हुई। बल्कि जो नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 19–1–2008 को एस.ओ. सीकर के यहां प्रस्तुत किया गया था। उसमे स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त रिकार्ड व मिसल नहीं मिलने की वजह से उक्त पत्रावली की नकले नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण नं 01ता. 3 द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारियो से साज करके गलत तरीका अपनाते हुये विवादग्रस्त भूमि की गलत खातेदारी अपने नाम वादीगणों के पिता की खातेदारी की भूमि को दर्ज करा ही, जो कानूनी तौर पर कतई गलत है, क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से पूर्व को खातेदारी रिकार्ड में कांटछांट करने व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार कतई नहीं है। यह कार्य केवल सक्षम न्यायालय के आदेश या रजिस्ट्री होने के बाद

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

के ही रिकार्ड बदला जा सकता है अन्यथा कतई नही। वादीगणो की भूमि ख.न. 5645, 5646 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा की खातेदारी अपने नाम से कराने के लिये प्रतिवादीगण सं 01 ता. 03 को कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने कहते रहे कि हम तुम जब भी कहोगे, चाहोगे तब ही कलेक्ट्रेट मे जाकर तुम्हारे नाम हम राजीखुशी रजिस्ट्री या खातेदारी दर्ज करवा देंगे। लेकिन पुन दिनांक 29–1–2008 को वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को खातेदारी कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता. 3 स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम तो तुम्हारे नाम जमीन की खातेदारी नही करायेंगे तुम जो चाहो सो करो, करते रहो हम तुम को एक इंच भी जमीन भी नहीं देंगे। और ना हो नाम करायेगे। बल्कि जो तुमने जमीन में फसल काश्त कर रखी है, को उथेल कर तुम को भी कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे। इस प्रकार ते वादीगणो द्वारा गांव के मौजिजा लोगो को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 को समझाने पर भी प्रतिवादीगण 1 ता. 3 नही माने तथा वादीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और प्रतिवादीगण 1 ता 3 के द्वारा ऐलानिया धमकी देते हुये कहा कि हम तो तुम्हारे नाम जमीन की खातेदारी नही करायेंगे और ना ही रजिस्ट्री करायेंगे। इस तरह वादीगणों को प्रतिवादीगणो द्वारा धमकी मिलने के पश्चात वादीगणो को अपनी भूमि को खातेदारी नाम कराने के लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 के खिलाफ वाद अधिकार घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ, जिससे वादीगण अपनी जमीन को सुरक्षित रख सके। और अपने नाम जमीन की खातेदारी करा सके। इसके अलावा वादीगणो के पास अन्य कोई कानूनी विकल्प नही होने की वजह से वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण अपने परिवार में अकेले गरीब व अनपढ व्यक्ति है और प्रतिवादीगण काफी मालदार व बाहुल्य वाले व्यक्ति है जो वादीगण को विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा हटाकर भूमि व फसल से बेदखल करके विवादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हो रहे है तथा दिनांक 30–1–2008 को इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 ने वादीगण के घर जाकर ऐलानिया धमकी वादीगणो व वादीगणों के परिवार को दी और वादीगणो द्वारा काफी समझाने पर भी प्रतिवादीगण स० 1 ता. 3 नहीं माने, अगर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को बेचान दीगर लोगो को कर दिया जाता है तो वादीगण को अपार क्षति होगी। जिसको क्षतिपूर्ति वादीगणो को भविष्य में कभी भी नही हो सकेगी। इसलिये वादीगणो द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादोगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने बाबत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना कानूनन आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 29–1–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा भूमि वादीगण के नाम नही कराने व दिनांक 30–1–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादीगण के घर पर जाकर ऐलानिया धमकी वादीगण को देने की भूमि से जबरदस्त बेदखल कर भूमि को बेचने बाबत धमकी देने के कारण से ही वाद कारण पैदा हुआ है।

वादीगण निम्न निवेदन करता है कि:–

(क) दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1ता. 3 के विरूद्ध इस बाबत अधिकार घोषणा की इस कदर डिक्री फरमायी जावे कि भूमि खं0न0 पुराना 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 5645, 5646 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9700 हैक्टे. भूमि वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 की खातेदारी में है, भूमि को हटाकर वादीगण के नाम की खातेदारी की घोषणा की जावें और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 का नाम जमाबंदी से हटाकर वादीगण के नाम नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

वादी में खातेदारी दर्ज वादीगण के नाम की जाने की घोषणा की जावें। इस कदर वादीगण के नाम घोषणा की डिक्री फरमायी जावें।

(ब) दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की इस कदर डिग्री फरमायी जाये कि भूमि खं.न. 5645, 5646 भूमि वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि से वादीगण के कब्जे काश्त भूमि से बेदखल न करे, न ही फसल को नष्ट करे। ना ही वादीगण को भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमद व रूकावट पैदा नहीं करें। ना ही भूमि की दशा में किसी प्रकार का परिवर्तन करे। ना ही कच्चा व पक्का तामीरात भी नही करें। न हो भूमि में पेडो की कटाई छंटाई करे। इस प्रकार से प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को भी स्टे से प्रतिबन्धित किया जाये तथा प्रतिवादी नं 4 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे एवं प्रतिवादी नं. 5 को भी स्टे से पाबन्द किया जाये कि वे प्रतिवादी नं. 1,2 व 3 के कहने पर विवादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री दीगर लोगो के नाम तस्दीक नही करे। आदि बातो के लिये प्रति – वादीगणो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर इनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री को घोषणा को फरमायी जायें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलबी पूर्ण पायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। वादीगण का यह कथन स्वीकार है कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5645 रकबा 0.31 हैक्टे० व 5646 रकबा 0.66 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.97 हैक्टे० बने हैं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है । उक्त भूमि कभी भी वादीगण के पिता स्व. श्री मांग्या की वास्तविक खातेदारी की भूमि नहीं रही। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। नानगा के परिवार की वंशावली सही अंकित की गई है शेष कथन अस्पष्ट है। भूमि विवादग्रस्त कभी भी वादीगण के पिता स्व. श्री मांग्या की वास्तविक खातेदारी की भूमि नहीं रही। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। वादीगण का यह कथन कि साबिका खसरा नम्बर 1440 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5647 व 5648 बने हैं, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रूडा की खातेदारी की भूमि थी, सही है परन्तु वादीगण का यह कथन कि साबिका खसरा नम्बर 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 5645 व 5646 मांग्या पुत्र नानगा की खातेदारी की भूमि थी, गलत है। वास्तव में उक्त भूमि रुडा पुत्र नानगा की ही खातेदारी एवं तन्हा कब्जे काश्त की भूमि थी जो गलती से मांग्या पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई थी। मांग्या ने अपने जीवनकाल में ही राजस्व भू-अभिलेखों में हो रही गलती को सुधारने के उद्देश्य से उक्त भूमि स्व. श्री रूडा के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा दी। उक्त भूमि पूर्व से ही श्री रूड़ा पुत्र नानगा के तन्हा कब्जे काश्त में थी और तब से अब तक निरन्तर पहले स्व. ... तथा उनका वर्ष 1983 में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी

अधिकारी

प्रतिवादी 1 लगायत 3 निरन्तर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त के समय स्वयं मांग्या पुत्र नानगा ने उपस्थित होकर अपने बयान दिये और भूमि को स्व. श्री रूडा के लड़कों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम किये जाने का अनुरोध किया जिसके आधार पर मिसल संख्या 873/1987 में सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 5-7-88 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 5-7-88 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू-अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से रही है। वादीगण के पिता मांग्या ने अपने जीवनकाल में कभी भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और अब वादीगण उक्त इन्द्राज के विरूद्ध आपत्ति करने से एस्टोप्ड हैं। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। चूंकि भूमि विवादग्रस्त के संबंध में भू-प्रबंध अधिकारी के यहाँ प्रकरण चला और उसमें वादीगण के पिता मांग्या ने स्वयं उपस्थित होने बयान देकर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी व कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का होना स्वीकार किया जिसके आधार पर दिनांक 5-7-88 आदेश पारित किया गया और उसकी अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 62 नियमानुसार तस्दीक किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। यह सही है कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी की उक्त पत्रावली संख्या 873/1987 उपलब्ध नहीं हो रही है परन्तु उससे उक्त कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता। वास्तविक खातेदार कृषकगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम ही खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया जो पूर्णतः न्यायोचित है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी ने अतिरिक्त प्रतिवाद में निवेदन किया कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5645 रकबा 0.31 हैक्टे0 व 5646 रकबा 0.66 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.97 हैक्टे० बने हैं प्रारम्भ से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री रूडा की वास्तविक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर पहले रूड़ा काबिज रहकर काश्त करता रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात् रूड़ा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत ३ भूमि विवादग्रस्त पर तन्हा काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त सहबन मांग्या पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई जिस पर स्व. श्री रूडा ने आपत्ति की तो मांग्या दुरूस्ती करवाने का आश्वासन देता रहा और श्री रूडा के स्वर्गवास के पश्चात मांग्या पुत्र नानगा ने अपने जीवनकाल में ही राजस्व भू-अभिलेखों में हो रही गलती को सुधारने के उद्देश्य से उक्त भूमि स्व. श्री रूड़ा के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा दी। उक्त भूमि पूर्व से ही स्व. श्री रूड़ा पुत्र नानगा के तन्हा कब्जे काश्त में थी और तब से अब तक पहले स्व. श्री रूड़ा तथा उनका वर्ष 1983 में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निरन्तर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बंदोबस्त के समय मांग्या पुत्र नानगा ने उपस्थित होकर अपने बयान दिये और भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

श्री रूड़ा के लड़कों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम किये जाने का
...तोष किया जिसके आधार पर मिसल संख्या 873 / 1987 में सहायक भू-अभिलेख
...कारी द्वारा दिनांक 5-7-88 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के
...धार पर नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 5-7-88 को तस्दीक किया जाकर
...स्व भू-अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम खातेदार कृषक के
...प में अंकित किया गया । सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 5-7-88
...को पारित निर्णय एवं उक्त निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतरकरण
...संख्या 62 दिनांक 5-7-88 व राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की
...नकारी वादीगण को शुरू से रही है। वादीगण के पिता मांग्या ने अपने
...जीवनकाल में कभी भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और अब वादीगण उक्त
...इन्द्राज के विरूद्ध आपत्ति करने से एस्टोप्ड हैं। स्व. श्री रूड़ा पुत्र नानगा ने भूमि
...विवादग्रस्त में आज से करीब 40 वर्ष सात कमरों का एक पक्का मकान निर्मित
...करवाया, अपने नाम से बिजली कनेक्शन करीब वर्ष 1976-77 में प्राप्त किया और
...चारों ओर खाम डोल का निर्माण करवाया । रूड़ा के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी
...संख्या 1 लगायत 3 ने करीब 8 वर्ष पूर्व एक बड़ा हॉल बनवाया, सन् 2000 में एक
...बोरिंग करवाया, भूमि विवादग्रस्त पर स्थित खाम डोल पर करीब 10 वर्षो पूर्व
...तारबन्दी करवाई इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का तथा
उनके पूर्व उनके हक पूर्वाधिकारी का नियमित रूप से कब्जा काश्त है और
उत्तरदाता प्रतिवादीगण ही भूमि विवादग्रस्त का तन्हा उपयोग एवं उपभोग करते चले
आ रहे हैं। श्री मांग्या पुत्र नानगा का स्वर्गवास होने के पश्चात् पगड़ी की रस्म के
बाद वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे
इन्द्राजात को निरस्त करवाकर उक्त भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु
कहा तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने उन्हें उसी वक्त स्पष्टतः इनकार कर यह स्थिति
स्पष्ट कर दी थी कि उक्त भूमि तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण की ही खातेदारी व कब्जे
काश्त की भूमि है और यदि तुम्हारे कोई अधिकार यदि पूर्व में कभी थें भी तो वे
कब्जा मुखालफाना के आधार पर समाप्त हो गये । वादीगण ने उक्त स्थिति स्पष्ट
कर देने के पश्चात भी ना तो सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के दिनांक 5-7-88
को कोई चुनौती दी और ना भूमि विवादग्रस्त में अपने तथाकथित अधिकारों की
घोषणा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करवाकर
कब्जा प्राप्त करने हेतु अन्दर मियाद कोई दावा प्रस्तुत किया इस प्रकार यदि
वादीगण के भूमि विवादग्रस्त में पूर्व में यदि कोई अधिकार कभी थे भी तो वे
अधिकार भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना होने
की वजह से समाप्त हो गये और अब वादीगण को दावा प्रस्तुत करने का कोई
अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त
नहीं है वास्तविक कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा मात्र अधिकार घोषणा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जो कब्जे के सम्बन्ध में
पारिणामिक अनुतोष चाहे बिना चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है।
वादीगण ने दावे में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है इस
प्रकार ... अनावश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का दोष होने से दावा

उपखण्ड अधिकारी
...जिला- जयपुर

...सूरत में चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। यदि वादीगण ... में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध भी किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष ... करना चाहते हैं तो वादीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे दावा प्रस्तुत ... से पूर्व उक्त प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 80 जा. सरदारदी के तहत पूर्व ... प्रेषित करते जिसके अभाव में दावा चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने ... है। वादीगण का पिछले 40–50 वर्षो से भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा ... है और कब्जे का अनुतोष प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत करने की समायावधि ... हो चुकी है इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्पष्टतः मियाद बाहर होने ... वजह से भी खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी ... के बावजूद भी वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए तथा गलत तथ्य ... करने हुए यह दावा उत्तरदाता प्रतिवादीगण को मात्र हैरान व परेशान करने ... उद्देश्य से प्रस्तुत किया है और इसलिये उत्तरदाता प्रतिवादीगण, वादीगण से विशेष हर्जे व खर्चे के रूप में 20000/– रूपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी ... अतः वादौत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विशेष हर्जे व ... सहित निरस्त फरमाया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादीगण ... विशेष हर्जे के रूप में 20 हजार रूपये की राशि दिलाई जावें।

उक्तानुसार वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा अनुसार कुल 05 ...तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः–

1. आया भूमि विवादग्रस्त गत ख0न0 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी हाल रिकार्ड में प्रतिवादीगण के खातेदारी में गलत दर्ज हो गई है। जबकि उक्त भूमि के गत रिकार्ड में वादीगण के पिता मांग्या पुत्र नानगा की खातेदारी में दर्ज थी, जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

......वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

......वादीगण

3. आया भूमि विवादग्रस्त के गत रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम खातेदारी सहवन से दर्ज हो गई थी, जबकि उक्त भूमि प्रारम्भ से प्रतिवादीगण के पिता ...डा के कब्जे–काश्त की भूमि रही है, वादीगण का कोई कब्जा–काश्त नही है।

.......प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण के पिता मांग्या ने स्वयं उपस्थित होकर भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष सहमति के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.07.88 को तस्दीक किया गया है।

........प्रतिवादीगण

5. आया वाद धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के व कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

.........प्रतिवादीगण

6. अन्य अनुतोष ?

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य तथा ... द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य बहस एवं

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया, जिनके अनुसार उक्त वाद का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार से किया जा रहा है:-

तनकी संख्या 01: आया भूमि विवादग्रस्त गत ख0न0 1437 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी हाल रिकार्ड में प्रतिवादीगण के खातेदारी में गलत दर्ज हो गई है। जबकि उक्त भूमि के गत रिकार्ड में वादीगण के पिता मांग्या पुत्र नानगा की खातेदारी में दर्ज थी, जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादीगण द्वारा अपने वाद में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 1437 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा हाल ख0न0 5645, 5646 कुल रकबा 0.9700 हैक्टे0 वाके ग्राम अचरोल उनके पिता मांग्या की खातेदारी भूमि थी। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता मांग्या पुत्र नानगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सवंत 2023 से 2040 तक खातेदारी में दर्ज थी। मांग्या के फौत होने पर वादीगण के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था जो नही नही किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम मिसल संख्या 873/1987 निर्णय दिनांक 05.07.1988 के अनुसार फर्जी तरीका अपनाकर नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 के माध्यम से खातेदारी में दर्ज कर दी गई। वादीगण का यह भी कथन है कि उक्त नामान्तकरण स्वीकृति के समय वादीगण के पिता मांग्या वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे साथ में यह भी कथन करते है कि मांग्या की मृत्यू के पश्चात वादीगण के वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सेटलमेंट विभाग की मिसल संख्या 873/1987 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु विभाग द्वारा उक्त पत्रावली रिकॉर्ड एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित होने तथा उक्त पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने के आधार पर प्रार्थना पत्र नत्थीबद्ध कर दिया गया एवं वादीगण उक्त प्रत्रावली की नकल प्राप्त करने में नाकाम रहे। वादीगण द्वारा वादकारण के सम्बन्ध में वादपत्र में कथन में तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री या खातेदारी वादीगण के पक्ष में करवा देने के लिए सहमत थे परन्तु दिनांक 27.01.2008 का उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पक्ष में करवा देने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। इसलिये वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादीगण द्वारा अपने वाद में समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्श पी-1 जमाबंदी संवत 2062-65, प्रदर्श पी-2, सर्वे शीट सन् 1983-84, प्रदर्श पी-3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी-4 पर्चा खतौनी भू प्रबंध विभाग, प्रदर्श पी-5 प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की फोटो प्रति, प्रदर्श पी-7 जमाबंदी संवत 2037-40, प्रदर्श पी-8 जमाबंदी संवत 2033-36 एवं प्रदर्श पी-9 जमाबंदी सवंत 2023-2026 प्रस्तुत किये गये हैं मौखिक साक्ष्य मे Pw-1 गोपी(वादी), Pw-2 जगदीश सैनी, Pw-3 रविन्द्र कुमार, Pw-4 शंकर, Pw-5 कैलाश प्रस्तुत किये गये है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रांत 2020(1) RRT 24, निगरानी संख्या 01/अलवर/77 मातादीन बनाम श्रीराम निर्णय दिनांक 18.09.1982, निगरानी संख्या 230/चूरू/75 लादी बनाम [illegible] निर्णय दिनांक 24.03.1983, निगरानी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

21/श्रीगंगानगर/75 अमीलाल बनाम गिरधारी लाल निर्णय दिनांक 02.07.1979 प्रस्तुत किये गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं साक्ष्य में किये गये अभिवचनों के विवेचन से यह स्थिति उभर कर आती है कि वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता मांग्या की खातेदारी भूमि थी तथा भू0 प्रबंध विभाग द्वारा मिसल संख्या 873/87 निर्णय दिनांक 05.07.1988 के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर पर्चा खतौनी जारी कर दी गई। वादीगण का कथन है कि वह मांग्या का वारिस होने के नाते उक्त भूमि का खातेदार मांग्या की मृत्यू के पश्चात दर्ज किया जाना चाहिए था। वादीगण द्वारा न तो अपने वादपत्र में एवं न ही बयानों में यह स्पष्ट किया गया है कि उसके पिता मांग्या की मृत्यू कब हुई थी। आया उसकी मृत्यू नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकार करने की दिनांक से पूर्व हुई थी अथवा पश्चात में हुई थी। वादीगण द्वारा अपने पिता मांग्या का कोई मृत्यू प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा यह भी कथन नहीं किया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 62 मांग्या की विरासत का था अथवा अन्य किसी आधार पर दर्ज किया गया था। यदि उक्त नामान्तकरण मांग्या की अनुचित विरासत के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकृत किया जाना साबित होता तो वादीगण के इस कथन को बल मिलता कि मांग्या की विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि की वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी, परन्तु इस तथ्य को साबित करने में वादीगण पूर्णतया विफल रहा है। नामान्तरकरण संख्या 62 मिसल संख्या 873/87 में पारित किसी सक्षम आदेश पर स्वीकृत किये जाने की स्थिति में मांग्या की विरासत में वादग्रस्त भूमि शेष नही रह जाती है तथा वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज किये जाने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नही रहता है। जहॉ तक वादी का कथन है कि भू0 प्रबंध विभाग द्वारा जालसाजी कर अनुचित तरीके से उसके पिता के नाम स्थित खातेदारी भूमि को प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, यह कथन साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नही होता है। मिसल संख्या 873/87 भू0 प्रबंध विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नही होने मात्र के आधार पर वादी का उक्त कथन सत्य नही माना जा सकता है। यहॉ तक कि वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 की प्रतिलिपि भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने का कोई सुस्पष्ट प्रयास नही किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादीगण को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है तथा विपक्ष की कमजोरियों का लाभ वादीगण को नहीं दिया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में एवं बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्ट्रांतों में इस कथन पर बल दिया गया है कि भू0 प्रबंध विभाग को अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार उपलब्ध नही है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी सक्षम आदेश के भू0 प्रबंध विभाग द्वारा अधिकार अभिलेख में परिवर्तन नही किया जा सकता है परन्तु सक्षम आदेश के जरिये नामान्तरकरण भू0 प्रबंध कार्यवाही के दौरान अधिकार अभिलेख में परिवर्तन किये जाने का अधिकार भू0 प्रबंध विभाग को है। वादी हस्तगत प्रकरण में इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है कि मिसल संख्या 837/87 में पारित निर्णय एवं तत्पश्चात स्वीकार किया गया नामान्तरकरण किसी सक्षम आदेश के बिना पारित किया गया था। यहॉ यह भी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

उल्लेखनीय है कि भू0 प्रबंध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तक की सन् 1988 में नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकार किये जाने के पश्चात वादीगण के हकपूर्वाधिकारी उनके पिता मांग्या द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की गई है तथा लगभग बीस वर्ष पश्चात वादीगण यह वाद लेकर आये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में भी वादकारण के रूप में वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में खातेदारी नहीं करवाने अथवा रजिस्ट्री नहीं करवाने के कारण घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का यह कथन भी घोषणा के अनुतोष के विरोधाभाषी है क्योंकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी काश्तकार द्वारा अपने पूर्व स्थित काश्तकारी अधिनियमों की घोषणा मात्र करवाई जा सकती है, कोई नवीन खातेदारी अधिकार उत्पन्न करने का कोई अनुतोष राजस्व न्यायालय उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदान नहीं कर सकता है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कही पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि का लगान अदा किया जा रहा है। इसके अभाव में वादीगण काश्तकार की परिभाषा में नही आता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में जिस वादकारण का उल्लेख किया गया है वह समुचित व स्पष्ट नही है तथा वादीगण का वाद वादकारण के अभाव से भी दूषित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भी वादीगण के वाद को साबित करने में असमर्थ है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट्रांत भी मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्ट्रांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सक्षम आदेश के अभाव में भू0 प्रबंध विभाग को अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है एवं वादीगण द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में भू0 प्रबंध विभाग द्वारा मिसल संख्या 837/87 में पारित निर्णय व नामान्तरकरण संख्या 62 किसी सक्षम आदेश के बिना पारित किये गये है।

उपर्युक्त विवेचन से मेरे विनम्र मत में वादीगण तनकी संख्या 01 को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है तथा यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02: आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

चूँकि तनकी संख्या 01 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जा चुकी है तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार साबित नही है। अतः उसे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। परिणामस्वरूप तनकी संख्या 02 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03, 04 व 05 : (03) आया भूमि विवादग्रस्त के गत रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम खातेदारी सहवन से दर्ज हो गई थी, जबकि उक्त भूमि प्रारम्भ से प्रतिवादीगण के पिता रूडा के कब्जे–काश्त की भूमि रही है, वादीगण का कोई कब्जा–काश्त नही है। (04) आया वादीगण के पिता मांग्या ने स्वयं उपस्थित होकर भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष सहमति के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 05.07.88

उपखण्ड अधिकारी
आबू, जिला- सिरोही

को तस्दीक किया गया है। (05) आया वाद धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के व कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

चूँकि तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जा चुकी है। अतः तनकी संख्या 03, 04 व 05 अप्रासांगिक हो चुकी है तथा पारिणामिक रूप से उक्त तनकियों को प्रतिवादी के पक्ष में साबित होना एज्यूम किया जाता है।

अनुतोषः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर